

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 925/2024

अनवान : -

1. प्रभूसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता वादी
2. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 15/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प०न० 331/385' (45) कि०न० 4/1 की 0.1900 हैक्ट 5/1 की 0.1640 हैक्ट, 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 6/2 की 0.2270 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्ट, प०न० 332/384(41) कि०न० 21/1 की 0.1650 हैक्ट, 22/2 की 0.1830 हैक्ट, प०न० 332/385(46) कि०न० 1/1 की 0.0880 हैक्ट, 1/2 की 0.1140 हैक्ट, 1/4 की 0.0120 गै०मु० खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 2/3 की 0.0880 हैक्ट, 2/4 की 0.1270 हैक्ट, 9 की 0.2530 हैक्ट, 10/1 की 0.2400 हैक्ट, 11/1 की 0.2410 हैक्ट, 12, 19, 22 की 0.7590 हैक्ट, प०न० 332/386 (53) कि०न० 2/1 की 0.0260 हैक्ट, 2/2 की 0.2270 हैक्ट, 9 की 0.2530 हैक्ट कुल 3.9140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त कृषि भूमि रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प०न० 331/385 (45) किला न० 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, प०न० प०न० 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै०मु० खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै०मु० खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नहीं है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जंगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है। इसलिए मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प०न० 331/385 (45) किला न० 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, प०न० प०न० 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै०मु० खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै०मु० खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स० 1 परोकार राज ने जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल किये गये।।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर



अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 154/43 जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, पर्चा खतौनी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल किये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नहीं है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पुर नया खाला स्वीकृत किया गया है। इसलिए मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

परोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 331/385 की कुल 3.9140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नहीं है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है। इसलिए रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन खाला नई चक स्कीम में दर्ज नहीं है। तहसीलदार नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया की राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्त 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवश पूर्व में निर्मित


रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नहीं किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नहीं है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नहीं है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 925/2024

अनवान : -

1. प्रभूसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 925 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनिया एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएम तहसील नोहर के प0न0 331/385 (45) किला न0 6/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 प0न0 332/385(46) 1/4 की 0.0120 गै0मु0 खाला, 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर